

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / शिका. / सेल-1 / टीकमगढ / 2018 / 965
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/5/18

डॉ. एच.बी. बडगईयां
चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय, टीकमगढ म.प्र. ।

द्वारा:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकमगढ म.प्र. ।

विषय:-म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 16 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र विरुद्ध- डॉ. एच.बी. बडगईयां, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय टीकमगढ ।

यह कि आप डॉ. एच.बी. बडगईयां, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय टीकमगढ में पदस्थ हैं ।

यह कि सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय टीकमगढ द्वारा पत्र दिनांक 19.12.2016 के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि आपके द्वारा जिला चिकित्सालय में आपातकालीन ड्यूटी लगाये जाने पर ड्यूटी करने से इंकार करते हुए अनुपस्थित हो जाना, बिना सूचना दिये कभी भी कर्तव्य से अनुपस्थित हो जाना, चिकित्सालय में मनमाने ढंग से कार्य करना, प्रसूताओं का सी-सेक्सन करने हेतु एनेस्थीसिया देने से इंकार करना, कॉल बुक के माध्यम से बुलाये जाने पर चिकित्सालय न आना, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता बरती जाना पाया गया है ।

इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का उचित निर्वहन न किया जाकर स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है । आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम, एक के खण्ड (i)(ii)(iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये हैं ।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम, 10 के अन्तर्गत लघु शास्ति अधिरोपित की जावे ? यदि आपका उत्तर समय-सीमा में प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित



(डॉ. जे.पी. खरे)

उप संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल-1/टीकमगढ/2018/
प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भोपाल दिनांक

- 1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
- 2 निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।
- 3 कलेक्टर, जिला टीकमगढ म.प्र.।
- 4 उप संचालक, विज्ञप्त, गोपनीय, लीगल स्थानीय कार्यालय।
- 5 क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये, सागर संभाग सागर म.प्र.।
- 6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ म.प्र. की ओर जारी कारण बताओ नोटिस भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ. एच. बी. बडगईयां चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय टीकमगढ को तामील कराते हुए तामिली रिपोर्ट एवं उनसे प्राप्त प्रतिवाद उत्तर पर आपका स्पष्ट अभिमत अंकित करते हुए संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7 सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय टीकमगढ म.प्र.।
- 8 डॉ. एच.बी. बडगईयां चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय टीकमगढ की ओर पालनार्थ द्वारा:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ म.प्र.।
- 9 प्रभारी एम.आई.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- 10 आदेश नस्ति।

उप संचालक (शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश